

बिहार सरकार
वित्त विभाग

प्रेषक,

ओम प्रकाश झा,
अपर सचिव-सह-बजट पदाधिकारी।

सेवा में,

प्रधान महालेखाकार, बिहार, पटना
महालेखाकार (ले० एवं हक०), बिहार, पटना
प्रधान सचिव/सचिव,
सभी विभाग,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक:- 10-03-2017

विषय:- बिहार विनियोग अधिनियम, 2017

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि बिहार विधान मंडल से पारित वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए बिहार विनियोग विधेयक, 2017 पर महामहिम राज्यपाल ने दिनांक: 09.03.2017 को स्वीकृति प्रदान कर दी है। विधि विभाग ने बिहार विनियोग अधिनियम 2017 (बिहार अधिनियम 4, 2017) को अधिसूचना संख्या-एल०जी०-01-04/2017/लेज:-15 एवं 16 (अंग्रेजी अनुवाद) दिनांक: 10.03.2017 द्वारा अधिसूचित किया है, जिसे बिहार गजट असाधारण के अंक संख्या-194 दिनांक-10.03.2017 से प्रकाशित किया गया है।

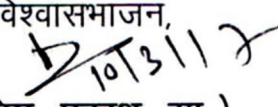
2. बिहार गजट असाधारण के अंक संख्या-194 दिनांक-10.03.2017 की पाँच प्रतियाँ, प्रधान महालेखाकार, बिहार, पटना एवं 35 प्रतियाँ महालेखाकार, ले० एवं हक० को तथा सभी विभागों को एक-एक प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही हैं।

3. उपर्युक्त के आलोक में 31 मार्च, 2017 तक की अवधि के लिए तृतीय अनुपूरक व्यय विवरण में सीधे अनुसूची के माध्यम से खण्ड-3 भाग-1 में पृष्ठ सं०-1 से 102 तक में प्रावधानित राशि को नियमानुसार व्यय किया जा सकता है। राशि का व्यय बिहार गजट की अनुसूची में प्रदर्शित प्रत्येक मांग/विनियोग के लिए राजस्व एवं पूंजी के अधिकतम राशि तक ही किया जा सकता है। अगर कोई नये उपशीर्ष में राशि प्रावधानित की गयी हो तो उस उपशीर्ष से राशि का व्यय महालेखाकार से उक्त उपशीर्ष के खोलने संबंधी सहमति पत्र प्राप्त होने के उपरांत ही किया जाना है। राज्य योजना अन्तर्गत यदि उद्व्यय के प्रत्याशा में राशि प्रावधानित की गई हो तो, उसके लिए योजना एवं विकास विभाग से अतिरिक्त उद्व्यय/उद्व्यय का सामंजन प्राप्त कर राशि का व्यय किया जाना है।

4. वित्तीय वर्ष 2016-17 के तृतीय अनुपूरक व्यय विवरण पुस्तिका की प्रति विभागों एवं प्रधान महालेखाकार, बिहार, पटना एवं महालेखाकार (ले0 एवं हक0) को पत्रांक: 311 दिनांक: 27.02.2017 द्वारा पूर्व में ही प्रेषित किया जा चुका है।

5. तृतीय अनुपूरक व्यय विवरणी से संबंधित गजट को बिहार गजट के वेबसाइट <http://cgazette.nic.in/> पर देखा जा सकता है।

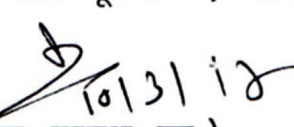
विश्वासभाजन,


(ओम प्रकाश झा)

अपर सचिव-सह-बजट पदाधिकारी

ज्ञापांक- ब15/बी0एस0जी0-24/2017 357 /वि0 पटना, दिनांक: 10-03-17

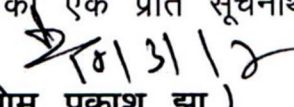
प्रतिलिपि-महामहिम राज्यपाल के सचिव/महानिबंधक, पटना उच्च न्यायालय/आरक्षी महानिदेशक, बिहार, पटना/महानिदेशक, अभियोजन निदेशालय, गृह विभाग/सचिव, बिहार विधान सभा/विधान परिषद्/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग/अध्यक्ष, बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग/स्थानीय आयुक्त, बिहार भवन, कौटिल्य मार्ग, नई दिल्ली/मुख्य मंत्री के सचिव/मंत्री, वित्त विभाग के आप्त सचिव /लोकायुक्त के सचिव/सचिव, राजस्व पर्षद/महानिरीक्षक, कारा, गृह विभाग/राज्य सूचना आयोग के सचिव/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव/विकास आयुक्त के सचिव को बिहार गजट की एक प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(ओम प्रकाश झा)

अपर सचिव-सह-बजट पदाधिकारी

ज्ञापांक- ब15/बी0एस0जी0-24/2017 357 /वि0 पटना, दिनांक: 10-03-17

प्रतिलिपि-सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिलाधिकारी/सभी कोषागार पदाधिकारी/सभी उप कोषागार पदाधिकारी को बिहार गजट की एक प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

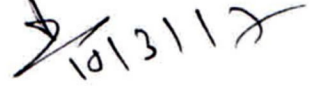

(ओम प्रकाश झा)

अपर सचिव-सह-बजट पदाधिकारी

ज्ञापांक- ब15/बी0एस0जी0-24/2017 357 /वि0 पटना, दिनांक: 10-03-17

प्रतिलिपि- निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण निदेशालय/निदेशक, सामाजिक सुरक्षा निदेशालय/निदेशक, श्रम निदेशालय, श्रम संसाधन विभाग/निदेशक, पुरातत्व निदेशालय/निदेशक, संग्रहालय निदेशालय, कला संस्कृति एवं युवा विभाग/निदेशक, गव्य निदेशालय/निदेशक, मत्स्य निदेशालय/निदेशक, पशुपालन निदेशालय, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग/निदेशक, जन शिक्षा/निदेशक, प्राथमिक शिक्षा/निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/निदेशक, उच्च शिक्षा/निदेशक, शोध एवं प्रशिक्षण/निदेशक, राज्य शिक्षा शोध एवं

प्रशिक्षण परिषद्/निदेशक, सामाज कल्याण निदेशालय, समाज कल्याण विभाग/निदेशक, कृषि निदेशालय, कृषि विभाग/निदेशक, चकबंदी/निदेशक, भू-अर्जन निदेशालय/निदेशक, सर्वे निदेशालय, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग/निदेशक, सांख्यिकी एवं मूल्यांकन निदेशालय/निदेशक, अभिलेखाकार/निदेशक, भूमि संरक्षण/निदेशक, देशी चिकित्सा/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवायें/निदेशक, सांस्थिक वित्त/ प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार/सचिव, वाणिज्य-कर न्यायधिकरण/मुख्य मंत्री सचिवालय, बिहार, पटना को बिहार गजट की एक प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

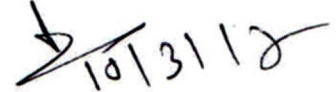


(ओम प्रकाश झा)

अपर सचिव-सह-बजट पदाधिकारी

ज्ञापांक- ब15/बी0एस0जी0-24/2017 357 /वि0 पटना, दिनांक: 10-03-17

प्रतिलिपि- अभिलेखागार पदाधिकारी, बिहार, पटना/उप सचिव, बिहार विधान सभा पुस्तकालय/अवर सचिव, बिहार विधान परिषद् पुस्तकालय को बिहार गजट की 5-5 प्रतियाँ अभिलेख संधारण हेतु प्रेषित।

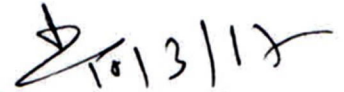


(ओम प्रकाश झा)

अपर सचिव-सह-बजट पदाधिकारी

ज्ञापांक- ब15/बी0एस0जी0-24/2017 357 /वि0 पटना, दिनांक: 10-03-17

प्रतिलिपि- मुख्य लेखा नियंत्रक, वित्त (अंकेक्षण) विभाग/निदेशक, प्रेस एवं स्टेशनरी/संयुक्त आयुक्त, लेखा प्रशासन/संयुक्त सचिव, प्रभारी पदाधिकारी, वित्त शाखा-4 एवं 5/ संयुक्त सचिव, प्रभारी शाखा-10/संयुक्त सचिव, डाटा कोषांग/संयुक्त सचिव, कोषागार शाखा/ संयुक्त सचिव, स्थापना/संयुक्त सचिव, लेखा शाखा/ उप सचिव, लोक उद्यम ब्यूरो/ निदेशक, सांस्थिक वित्त/ प्रभारी पदाधिकारी, वित्त वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग, वित्त विभाग/प्रधान सचिव, वित्त विभाग के आप्त सचिव/सचिव(संसाधन), वित्त विभाग के आप्त सचिव/प्रशाखा पदाधिकारी, शाखा-10, 13 एवं 4 को बिहार गजट की एक प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

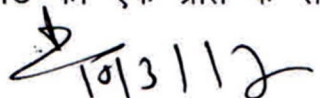


(ओम प्रकाश झा)

अपर सचिव-सह-बजट पदाधिकारी

ज्ञापांक- ब15/बी0एस0जी0-24/2017 357 /वि0 पटना, दिनांक: 10-03-17

प्रतिलिपि- स्थानीय लेखा परीक्षक, स्थानीय लेखा परीक्षा शाखा कार्यालय, महालेखाकार (लेखा परीक्षा), वीरचन्द्र पटेल मार्ग, बिहार, पटना को बिहार गजट की एक प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

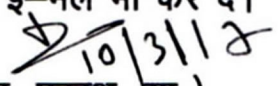


(ओम प्रकाश झा)

अपर सचिव-सह-बजट पदाधिकारी

ज्ञापांक- ब15/बी0एस0जी0-24/2017 357 /वि0 पटना, दिनांक: 10-03-17

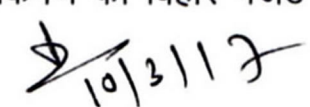
प्रतिलिपि- सभी उप बजट नियंत्रक सह उप सचिव/उप निदेशक/लेखा पदाधिकारी, वित्त विभाग /प्रणाली विश्लेषक/ आई0 टी0 मैनेजर डाटा कोषांग को बिहार गजट की एक प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। प्रणाली विश्लेषक/ आई0 टी0 मैनेजर डाटा कोषांग को निदेशित किया जाता है कि इसे विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कर दें तथा सभी विभाग/जिला पदाधिकारी/कोषागार पदाधिकारी को ई-मेल भी कर दें।


(ओम प्रकाश झा)

अपर सचिव-सह-बजट पदाधिकारी

ज्ञापांक- ब15/बी0एस0जी0-24/2017 357 /वि0 पटना, दिनांक: 10-03-17

प्रतिलिपि-बजट शाखा के सभी प्रशाखा पदाधिकारी/ सहायकगण को बिहार गजट की एक प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(ओम प्रकाश झा)

अपर सचिव-सह-बजट पदाधिकारी



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

19 फाल्गुन 1938 (श०)
(सं० पटना 194) पटना, शुक्रवार, 10 मार्च 2017

विधि विभाग

अधिसूचनाएं

10 मार्च 2017

सं० एल०जी०-01-04/2017/15/लेज: 1—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित का निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर महामहिम राज्यपाल दिनांक 9 मार्च 2017 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा,
सरकार के सचिव।

[बिहार अधिनियम 4, 2017]

बिहार विनियोग अधिनियम, 2017

बिहार राज्य की संचित निधि में से कतिपय राशि की निकासी 31 मार्च 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान सेवाओं के लिए शोधन और विनियोग प्राधिकृत करने के लिए अधिनियम ।

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो ।-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ ।-(1) यह अधिनियम बिहार विनियोग अधिनियम, 2017 कहा जा सकेगा ।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा ।

(3) यह 01 अप्रैल 2016 के प्रभाव से प्रवृत्त होगा।

2. 2016-17 वर्ष के लिए बिहार राज्य की संचित निधि में से कुल 89,83,50,67,000 (नवासी अरब तिरासी करोड़ पचास लाख सड़सठ हजार) रुपये की निकासी । - बिहार राज्य की संचित निधि में से इस अधिनियम की अनुसूची के स्तम्भ-2 में उल्लिखित सेवाओं के संबंध में, 01 अप्रैल, 2016 को शुरू होने वाले वर्ष के दौरान भुगतान के सिलसिले में होने वाले विभिन्न व्यय की पूर्ति के लिए, कुल 89,83,50,67,000 (नवासी अरब तिरासी करोड़ पचास लाख सड़सठ हजार) रुपये, जो इस अधिनियम की अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित राशि से अधिक न होगा, निकाले जा सकेंगे।

3. विनियोग-। - इस अधिनियम के अधीन बिहार राज्य की संचित निधि में से निकासी के लिए प्राधिकृत राशि, 01 अप्रैल, 2016 को शुरू होने वाले वर्ष से संबंधित अनुसूची में उल्लिखित सेवाओं और प्रयोजनों के लिए होगी और उनके संबंध में विनियोजित की जायेगी।

अनुसूची
(धाराएं 2 और 3 देखें)

मांग/ विनियोग संख्या	सेवा से संबंधित मांग या विनियोग	राजस्व पूंजी	अनधिक राशियां (रुपयों में)		
			बिहार विधान मंडल द्वारा दिए गए अनुदान	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
1	2	3	4	5	6
1	कृषि विभाग	राजस्व	34,56,90,000		34,56,90,000
		पूंजी			
2	पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग	राजस्व	1,09,75,000		1,09,75,000
		पूंजी			
3	भवन निर्माण विभाग	राजस्व	1,000		1,000
		पूंजी	28,56,28,000		28,56,28,000
4	मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग	राजस्व	2,01,000		2,01,000
		पूंजी	1,25,00,00,000		1,25,00,00,000
5	राज्यपाल सचिवालय	राजस्व			
		पूंजी			
6	निर्वाचन विभाग	राजस्व			
		पूंजी			
7	निगरानी विभाग	राजस्व			
		पूंजी			
8	कला, संस्कृति एवं युवा विभाग	राजस्व			
		पूंजी			
9	सहकारिता विभाग	राजस्व	1,64,43,000		1,64,43,000
		पूंजी	18,35,00,000		18,35,00,000
10	उर्जा विभाग	राजस्व			
		पूंजी	21,26,65,00,000		21,26,65,00,000
11	पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	राजस्व	4,12,32,02,000		4,12,32,02,000
		पूंजी			
12	वित्त विभाग	राजस्व	12,00,000		12,00,000
		पूंजी			
13	सूद भुगतान	राजस्व			
		पूंजी			
14	ऋण अदायगियां	राजस्व			
		पूंजी			

मांग/ विनियोग संख्या	सेवा से संबंधित मांग या विनियोग	राजस्व पूंजी	अनधिक राशियां (रुपयों में)		
			बिहार विधान मंडल द्वारा दिए गए अनुदान	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
1	2	3	4	5	6
15	पेंशन	राजस्व		15,00,000	15,00,000
		पूंजी			
16	पंचायती राज विभाग	राजस्व	2,02,28,00,000		2,02,28,00,000
		पूंजी			
17	वाणिज्य-कर विभाग	राजस्व			
		पूंजी			
18	खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	राजस्व	19,89,89,000		19,89,89,000
		पूंजी			
19	पर्यावरण एवं वन विभाग	राजस्व	1,37,38,000		1,37,38,000
		पूंजी	99,00,000		99,00,000
20	स्वास्थ्य विभाग	राजस्व	4,95,73,03,000		4,95,73,03,000
		पूंजी	2,02,00,01,000		2,02,00,01,000
21	शिक्षा विभाग	राजस्व	2,94,85,81,000		2,94,85,81,000
		पूंजी	3,27,66,30,000		3,27,66,30,000
22	गृह विभाग	राजस्व	94,71,51,000		94,71,51,000
		पूंजी			
23	उद्योग विभाग	राजस्व	12,65,36,000		12,65,36,000
		पूंजी	50,00,00,000		50,00,00,000
24	सूचना एवं जनसंपर्क विभाग	राजस्व			
		पूंजी			
25	सूचना प्रावैधिकी विभाग	राजस्व	25,00,00,000		25,00,00,000
		पूंजी	20,00,00,000		20,00,00,000
26	श्रम संसाधन विभाग	राजस्व	4,88,50,000		4,88,50,000
		पूंजी	44,54,23,000		44,54,23,000
27	विधि विभाग	राजस्व	3,26,70,000		3,26,70,000
		पूंजी			
28	उच्च न्यायालय	राजस्व		4,01,000	4,01,000
		पूंजी			
29	खान एवं भूतत्व विभाग	राजस्व	60,12,000		60,12,000
		पूंजी			

मांग/ विनियोग संख्या	सेवा से संबंधित मांग या विनियोग	राजस्व पूंजी	अनधिक राशियां (रुपयों में)		
			बिहार विधान मंडल द्वारा दिए गए अनुदान	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
1	2	3	4	5	6
30	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	राजस्व	50,82,000		50,82,000
		पूंजी	50,00,00,000		50,00,00,000
31	संसदीय कार्य विभाग	राजस्व			
		पूंजी			
32	विधान मंडल	राजस्व	60,00,000		60,00,000
		पूंजी			
33	सामान्य प्रशासन विभाग	राजस्व	19,71,000		19,71,000
		पूंजी			
34	बिहार लोक सेवा आयोग	राजस्व			
		पूंजी			
35	योजना एवं विकास विभाग	राजस्व			
		पूंजी			
36	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	राजस्व	1,000		1,000
		पूंजी	60,00,00,000		60,00,00,000
37	ग्रामीण कार्य विभाग	राजस्व	2,00,00,00,000		2,00,00,00,000
		पूंजी	15,60,00,00,000		15,60,00,00,000
38	मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग	राजस्व	1,71,00,000		1,71,00,000
		पूंजी			
39	आपदा प्रबंधन विभाग	राजस्व	54,24,26,000		54,24,26,000
		पूंजी			
40	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	राजस्व	27,16,000		27,16,000
		पूंजी	3,78,72,000		3,78,72,000
41	पथ निर्माण विभाग	राजस्व	1,00,00,00,000		1,00,00,00,000
		पूंजी	2,00,00,00,000		2,00,00,00,000
42	ग्रामीण विकास विभाग	राजस्व			
		पूंजी			
43	विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग	राजस्व			
		पूंजी			
44	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग	राजस्व			
		पूंजी			
45	गन्ना उद्योग विभाग	राजस्व			
		पूंजी			

मांग / विनियोग संख्या	सेवा से संबंधित मांग या विनियोग	राजस्व पूंजी	अनधिक राशियां (रुपयों में)		
			बिहार विधान मंडल द्वारा दिए गए अनुदान	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
1	2	3	4	5	6
46	पर्यटन विभाग	राजस्व			
		पूंजी			
47	परिवहन विभाग	राजस्व	4,35,30,000		4,35,30,000
		पूंजी			
48	नगर विकास एवं आवास विभाग	राजस्व	5,19,85,00,000		5,19,85,00,000
		पूंजी			
49	जल संसाधन विभाग	राजस्व	3,25,00,00,000		3,25,00,00,000
		पूंजी	1,50,00,00,000		1,50,00,00,000
50	लघु जल संसाधन विभाग	राजस्व	34,48,00,000		34,48,00,000
		पूंजी			
51	समाज कल्याण विभाग	राजस्व	11,65,52,44,000		11,65,52,44,000
		पूंजी	4,00,00,000		4,00,00,000
योग राजस्व			40,11,77,12,000	19,01,000	40,11,96,13,000
योग पूंजी			49,71,54,54,000		49,71,54,54,000
महायोग			89,83,31,66,000	19,01,000	89,83,50,67,000

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा,
सरकार के सचिव।

10 मार्च 2017

सं० एल०जी०-०१-०४/२०१७/१६/लेज:।—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और महामहिम राज्यपाल द्वारा दिनांक ९ मार्च २०१७ को अनुमत बिहार विनियोग अधिनियम, २०१७ का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद-३४८ के खंड (३) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा,
सरकार के सचिव।

[Bihar Act 4, 2017]

THE BIHAR APPROPRIATION ACT, 2017

AN

ACT

TO AUTHORISE PAYMENT AND APPROPRIATION OF CERTAIN AMOUNT FROM
AND OUT OF THE CONSOLIDATED FUND OF THE STATE OF BIHAR FOR
THE SERVICES DURING THE YEAR ENDING THE THIRTYFIRST DAY OF
MARCH, 2017

Be it enacted by the Legislature of the State of Bihar in the sixty eighth year of the
Republic of India as follows:-

1. Short title, extent and commencement .- (1)This Act may be called the Bihar
Appropriation Act, 2017.

(2). It shall extend to the whole of the state of Bihar.

(3). It shall come into force with effect from 1st April 2016.

2. Withdrawal of total Rs.- 89,83,50,67,000 (Rs. Eighty nine Arab Eighty-three
Crore Fifty lakh and Sixty-seven Thousand), out of the Consolidated Fund of the State of
Bihar for the year 2016-17.-Total 89,83,50,67,000 (Rs. Eighty nine Arab Eighty-three Crore
Fifty lakh and Sixty-seven Thousand), which will not be more than the amount mentioned in
column-6 of the schedule of this Act from The Consolidated Fund of The State of Bihar to
meet various expenses to be incurred related to the payment during the year commencing
from 1st April, 2016 in relation to the services mentioned in column-2 of the Schedule of
this Act.

3. Appropriation.- The amount authorized for withdrawal from and out of the
Consolidated Fund of the State of Bihar under this Act will be for the purposes and services
mentioned in the Schedule concerned related to the year commencing from first day of
April, 2016 and will be appropriated in respect of them.

SCHEDULE
(See Section 2 and 3)

Grant/ Appropriation Number	Services and purposes to which the appropriation relates	Revenue Capital	Sums not exceeding (In Rupees)		
			Grant made by the Bihar Legislative Assembly	Charged on the Consolidated Fund of the State	Total
1	2	3	4	5	6
1	Agriculture Department	Revenue	34,56,90,000		34,56,90,000
		Capital			
2	Animal and Fisheries Resource Department	Revenue	1,09,75,000		1,09,75,000
		Capital			
3	Building Construction Department	Revenue	1,000		1,000
		Capital	28,56,28,000		28,56,28,000
4	Cabinet Secretariat Department	Revenue	2,01,000		2,01,000
		Capital	1,25,00,00,000		1,25,00,00,000
5	Secretariat of the Governor	Revenue			
		Capital			
6	Election Department	Revenue			
		Capital			
7	Vigilance Department	Revenue			
		Capital			
8	Art, Culture and Youth Department	Revenue			
		Capital			
9	Co-operative Department	Revenue	1,64,43,000		1,64,43,000
		Capital	18,35,00,000		18,35,00,000
10	Energy Department	Revenue			
		Capital	21,26,65,00,000		21,26,65,00,000
11	BC and MBC Welfare Department	Revenue	4,12,32,02,000		4,12,32,02,000
		Capital			
12	Finance Department	Revenue	12,00,000		12,00,000
		Capital			
13	Interest Payment	Revenue			
		Capital			
14	Repayment of Loans	Revenue			
		Capital			
15	Pension	Revenue		15,00,000	15,00,000
		Capital			
16	Panchayati Raj Department	Revenue	2,02,28,00,000		2,02,28,00,000
		Capital			
17	Commercial Tax Department	Revenue			
		Capital			
18	Food and Consumer Protection Department	Revenue	19,89,89,000		19,89,89,000
		Capital			
19	Environment and Forest Department	Revenue	1,37,38,000		1,37,38,000
		Capital	99,00,000		99,00,000
20	Health Department	Revenue	4,95,73,03,000		4,95,73,03,000
		Capital	2,02,00,01,000		2,02,00,01,000
21	Education Department	Revenue	2,94,85,81,000		2,94,85,81,000
		Capital	3,27,66,30,000		3,27,66,30,000
22	Home Department	Revenue	94,71,51,000		94,71,51,000
		Capital			
23	Industries Department	Revenue	12,65,36,000		12,65,36,000
		Capital	50,00,00,000		50,00,00,000

Grant/ Appropriation Number	Services and purposes to which the appropriation relates	Revenue Capital	Sums not exceeding (In Rupees)		
			Grant made by the Bihar Legislative Assembly	Charged on the Consolidated Fund of the State	Total
1	2	3	4	5	6
24	Information and Public Relation Department	Revenue			
		Capital			
25	Information Technology Department	Revenue	25,00,00,000		25,00,00,000
		Capital	20,00,00,000		20,00,00,000
26	Labour Resource Department	Revenue	4,88,50,000		4,88,50,000
		Capital	44,54,23,000		44,54,23,000
27	Law Department	Revenue	3,26,70,000		3,26,70,000
		Capital			
28	High Court of Bihar	Revenue		4,01,000	4,01,000
		Capital			
29	Mines and Geology Department	Revenue	60,12,000		60,12,000
		Capital			
30	Minorities Welfare Department	Revenue	50,82,000		50,82,000
		Capital	50,00,00,000		50,00,00,000
31	Parliamentary Affairs Department	Revenue			
		Capital			
32	Legislature	Revenue	60,00,000		60,00,000
		Capital			
33	General Administration Department	Revenue	19,71,000		19,71,000
		Capital			
34	Bihar Public Service Commission	Revenue			
		Capital			
35	Planning and Development Department	Revenue			
		Capital			
36	Public Health Engineering Department	Revenue	1,000		1,000
		Capital	60,00,00,000		60,00,00,000
37	Rural Works Department	Revenue	2,00,00,00,000		2,00,00,00,000
		Capital	15,60,00,00,000		15,60,00,00,000
38	Prohibition, Excise, and Registration Department	Revenue	1,71,00,000		1,71,00,000
		Capital			
39	Disaster Management Department	Revenue	54,24,26,000		54,24,26,000
		Capital			
40	Revenue and Land Reforms Department	Revenue	27,16,000		27,16,000
		Capital	3,78,72,000		3,78,72,000
41	Road Construction Department	Revenue	1,00,00,00,000		1,00,00,00,000
		Capital	2,00,00,00,000		2,00,00,00,000
42	Rural Development Department	Revenue			
		Capital			
43	Science and Technology Department	Revenue			
		Capital			
44	SC & ST Welfare Department	Revenue			
		Capital			

Grant/ Appropriation Number	Services and purposes to which the appropriation relates	Revenue Capital	Sums not exceeding (In Rupees)		
			Grant made by the Bihar Legislative Assembly	Charged on the Consolidated Fund of the State	Total
1	2	3	4	5	6
45	Sugar Industries Department	Revenue			
		Capital			
46	Tourism Department	Revenue			
		Capital			
47	Transport Department	Revenue	4,35,30,000		4,35,30,000
		Capital			
48	Urban Development and Housing Department	Revenue	5,19,85,00,000		5,19,85,00,000
		Capital			
49	Water Resources Department	Revenue	3,25,00,00,000		3,25,00,00,000
		Capital	1,50,00,00,000		1,50,00,00,000
50	Minor Water Resource Department	Revenue	34,48,00,000		34,48,00,000
		Capital			
51	Social Welfare Department	Revenue	11,65,52,44,000		11,65,52,44,000
		Capital	4,00,00,000		4,00,00,000
Total Revenue			40,11,77,12,000	19,01,000	40,11,96,13,000
Total Capital			49,71,54,54,000		49,71,54,54,000
Grand Total			89,83,31,66,000	19,01,000	89,83,50,67,000

By order of the Governor of Bihar,
SURENDRA PRASAD SHARMA,
Secretary to Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 194-571+400-डी०टी०पी०।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>